

158

265

व्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किल कोर्ट दीवा जिला दीवा म.प्र.



1-सुमेट सिंह तनय स्व.श्री गुलाब सिंह उम्र-60वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी बरहा मुङ्वाट तहसील सेमटिया जिला दीवा म.प्र.

2-गजेन्द्र सिंह तनय श्री ललन सिंह उम्र-40वर्ष पेशा काश्तकारी आकिन बरहा मुङ्वाट तहसील सेमटिया जिला दीवा म.प्र.....
निगराकाटगण

बनाम

श्री चन्द्रमणि प्रसाद मिश्रा तनय स्व.अवधलाल मिश्रा उम्र-50वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी बरहा मुङ्वाट तहसील सेमटिया जिला दीवा म.प्र..... आवेदक/गैरनिगराकाट

श्री आर. ली. सिंह राठोर एड
द्वारा आज दिनांक 9-3-16 के
प्रस्तुत दिया गया।

म
सर्किल कोर्ट दीवा

**निगरानी विषय आदेश राजस्व
नियीक्षक मण्डल तहसील सेमटिया
जिला दीवा के दा.प्र.कं.
31अ12/14-15 में पारित
आदेश दिनांक 30.06.2015
हस्त धारा-50 का.मा. 1959.**

माव्यवरद,

उपरोक्त प्रसंग में निगराकाटगण की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर निम्न विनय है:-

सक्षिप्त तथ्य:-

यह कि आवेदक/गैरनिगराकाट ने अपने भूमिष्वाभित्व की आदाजी नं. 61 एकवा 1.88ए., आ.नं. 69 एकवा 2.15ए.एवं आ.नं. 72/1 एकवा 0.83डि.वाका मौजा देवरी पटवारी हल्का बरहा मुङ्वाट तहसील सेमटिया जिला

सुमेट सिंह

(M) गोपनीय

.....2


158

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक संग.5128 / II / 2016

जिला—रीवा

सुमेर सिंह/चन्द्रमणि प्रसाद मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील समरिया के प्रकरण क्रमांक 31/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>M</i></p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.श्रीवास्तव), सदस्य </p> <p style="text-align: right;"><i>JL</i></p>	